न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गढ़ी (राज0)

पीठासीन अधिकारीः श्रवण सिंह राठौड़, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्याः 00101/2018

उनवान

1. लक्ष्मी पुत्री उंकार (पत्नी हीरालाल) जाति सेवक निवारी सुन्दनी तह. गढी जिला
बांसवाडा (राज.)।

—: वादी

बनाम

1. अमृतलाल पिता प्रताप जाति सेवक निवासी सुन्दनी तहसील गढी जिला बांसवाडा।
2. तहसीलदार, तहसील गढी जिला बांसवाडा।

—: प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत 88, 209 राज0 काश्तकारी अधिनियम

निर्णय

दिनांक 22.4.2025

संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार हैं कि वादीया के मिल्कीयत व स्वामित्व की भूमि खाता संख्या 85 (नया), 75 (पुराना) के सर्वे नम्बर 947, 949, 3099/953/1 रकबा क्रमशः 0.14, 0.32 0.02 हे0 कुल किता 03 रकबा 0.48 वाके ग्राम सुन्दनी तत्कालीन पटवार मण्डल रोहिडां हाल पटवार मण्डल सुन्दनी तहसील गढ़ी जिला बांसवाडा में स्थित है। पूर्व में उक्त खाता जमना बेवा उंकार सेवक जो कि वादीया की माता है एवं उसके पूर्व वादीया के पिता उंकार के नाम से राजस्व रिकार्ड मे दर्ज है। प्रतिवादी ने वादीया की माता की वृद्धा अवस्था का लाभ उठाकर एक गोदनामा निष्पादित करवाय। वादीया की माता अनपड है तथा उक्त गोदनामे पर सभी के फर्जी अंगुठे लगाये गये है। उक्त गोदनामा में अमृतलाल की उम्र 47 वर्ष अंकित है। गोदनामा जिसके हक में निष्पादित होता है उसकी उम्र 15 वर्ष से कम होनी चाहिये एवं उक्त गोदनामा दिनांक 9.8.2004 के आधार पर नायब तहसीलदार द्वारा दिनांक 19.10.2010 को जो आदेश पारित किये गये है वह उनके अधिकार क्षेत्र के बाहर जाकर कार्य किया है एवं उक्त आदेश के द्वारा जो नामान्तरकरण संख्या 587 दिनांक 19.11.2010 को किया गया है वह विधि विरूद्ध है। वादीया जमना बेवा उंकार सेवक की पुत्री [illegible] होने की पात्र है वादीया से प्रतिवादी जो जबरदस्ती उक्त खेत [illegible] कर रहा है दिनांक 04.7.2018 को दोपहर में लडाई झगडा किया [illegible] उक्त खेत का एक मात्र मालिक हूँ तेरा कोई हक नही है। मै बैठा हूँ मै [illegible] उगा। वादीया के साथ लडाई झगडा किया जिसके कारण वाद का कारण उत्पन्न हुआ है। वादग्रस्त भूमि

Signature Not Verified
Digitally signed by SHARWAN SINGH RATHORE
Date: 2025.05.14 17:28:42 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
गढ़ी, जिला बाँसवाड़ा

Scanned with OKEN Scanner

में वादीया को एकमात्र खातेदार घोषित किये जाने बाबत् वाद अन्तर्गत धारा 88, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत् पेश हुआ।

वादीया की ओर से प्रस्तुत वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किये जाने पर प्रतिवादी संख्या 01 की ओर से श्री शिवलाल पुरी अभिभाषक का वकालत नामा पेश हुआ। प्रतिवादी संख्या 01 द्वारा जवाब पेश कर बताया कि वादग्रस्त भूमि वादीया की कभी मिल्कीयत व स्वामित्व की नहीं रही है। वादीया के पिता श्री ओंकार पुत्र मकनजी ने प्रतिवादी संख्या 01 अमृतलाल को जब अमृतलाल 10–12 वर्ष का था उसके बचपनकाल में ही गोद रख लिया था। जो आज से करीब 50 वर्ष पूर्व से ही प्रतिवादी संख्या 01 अमृतलाल श्री ओंकार पुत्र मकनजी व श्रीमती जमना पत्नी ओंकार का गोदपुत्र है व वादीया की माता श्रीमती जमना ने अपने जीवनकाल में एक गोदनामा उपपंजीयक कार्यालय गढ़ी में रूबरू गवाहान के दिनांक 3.8.2004 को प्रभुलाल व सरता पुत्र साखाजी के द्वारा श्रीमती जमना बेवा ओंकार ने अमृतलाल को गोद लिया है। वादीया की माता जमना का फर्जी अंगुठा लगवा जाली गोदनामा तैयार करवाना, मनगढ़ंत व बेबुनियादी है। वादीया का आज से करीब 25–30 वर्ष पूर्व उसके बाल्यकाल में बोदला निवासी हिरालाल के साथ विवाह सम्पन्न करवा दिया गया है, तब से वादीया अपने ससुराल में गांव बोदला तहसील बांसवाडा में निवास कर रही है व वहां अपने पति की जमीन–जायदाद पर काबिज हो उसका उपयोग एवं उपभोग कर रही है वर्तमान में वादग्रस्त भूमि पर प्रतिवादी संख्या अमृतलाल विगत 50 वर्ष से भी अधिक समय से काबिज हो काश्त करता चला है वादीया ने वादग्रस्त भूमि पर कभी कृषि काश्त नहीं किया है। वादीया के मा की सेवा चाकरी एवं उनके मरणोंपरान्त समस्त रस्म रिवाजों का पालन एवं निवहन प्रतिवादी संख्या 01 ने गोदपुत्र की हैसियत से किया है व इस बाबत् वादीया ने दिनांक 18.4.2009 को एक सहमति पत्र भी प्रतिवादी संख्या 01 के पक्ष में निष्पादित कर दिया है। जिसमें वादीया ने प्रतिवादी संख्या 01 को एक मात्र वारिस होना बताया है। व उसने अपना कोई हक इस वादग्रस्त भूमि में नहीं होना माना एवं स्वीकार किया है। प्रतिवादी संख्या 01 ने कोई लडाई झगडा नहीं किया है। बल्कि प्रतिवादी संख्या 01 करीब 50 वर्ष से भी अधिक समय से भौतिक रूप से काबिज होकर उक्त भूमि पर कृषि कार्य कर रहा है

प्रतिवादी संख्या 01 द्वारा प्रतिवाद अन्तर्गत आदेश 8 नियम 6 (क) सिविल प्रक्रिया संहिता अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 एवं धारा 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत् पेश कर कथन किया कि खाता संख्या 85 (नया), 75 (पुराना) के सर्वे नम्बर 947, 949, 3099/953/1 रकबा क्रमशः 0.14, 0.32 0.02 हे0 कुल किता 03 रकबा 0.48 वाके ग्राम सुन्दनी प्रतिवादी संख्या 01 अमृतलाल

उपखण्ड अधिकारी
गढ़ी, जिला बाँसवाड़ा

Scanned with OKEN Scanner
Signature Not Verified
Digitally signed by SHIVRAWAN SINGH RATHORE
Date: 2025.05.14 17:28:42 IST
Reason: SelfAttested

पिता प्रतापजी जाति सेवक निवासी सुन्दनी गत 50 वर्षो से भी अधिक समय से काबिज होकर कृषि कार्य कर रहा है यह कि उक्त भूमि पूर्व में वादीया लक्ष्मी के पिता श्री ओंकर पिता मकनजी के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज थी व श्री ओंकारजी की मृत्यु के पश्चात् उक्त भूमि वादीया की माता श्रीमती जमना बाई के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हुई, श्रीमती जमना बाई की मृत्यु के पश्चात् उक्त भूमि वादीया के माता–पिता द्वारा बचपन से गोद रखे पुत्र प्रतिवादी संख्या 01 अमृतलाल के नाम नामान्तरण आदेश संख्या भू.अ. 2571, 72 दिनांक 19.10.2010 के द्वारा दर्ज रिकॉर्ड हुई तथा वादीया श्रीमती लक्ष्मी जो आज से करीब 25–30 वर्ष पूर्व अपनी शादी हो जाने के बाद अपने पति श्री हिरालाल के वहां गांव बोदला तहसील व जिला बांसवाडा में रह रही है। वादग्रस्त भूमि पर उसका कभी कब्जा नहीं रहा। परन्तु उसने राजस्व अधिकारियों व कर्मचारियों से मिलकर वादग्रस्त भूमि में अपना नाम जुडवा दिया है, जो उक्त नामान्तरकरण आंशिक रूप से खारीज योग्य है। अतः वादीया का नाम उक्त भूमि से हटाकर प्रतिवादी संख्या 01 को एक मात्र खातेदार घोषित किया जाना आवश्यक है। प्रतिवादी का वाद कारण वादीया द्वारा प्रतिवादी संख्या 01 के विरुद्ध वाद दायर करने से प्रतिवादी संख्या 01 को यह जानकारी में आने से पैदा हुआ है कि प्रतिवादी संख्या 01 नामान्तरकरण के समय अवैध रूप से राजस्व अधिकारियों व कर्मचारियों को प्रलोभन देकर वादीया ने अपना नाम वादग्रस्त भूमि में सहखातेदार के रूप में जुडवा दिया है। अतः वादीया का वाद सव्यय खारीज कर वादग्रस्त भूमि में वादीया का नाम हटाया जाकर प्रतिवादी संख्या 01 को उक्त भूमि का एक मात्र खातेदार घोषित किये जाने का निवेदन किया ।

वादीया द्वारा प्रतिदावा का जवाब पेश कर कथन किया किया कि वादग्रस्त भूमि खाता संख्या 85 (नया), 75 (पुराना) के सर्वे नम्बर 947, 949, 3099/953/1 रकबा क्रमशः 0.14, 0.32 0.02 हे0 कुल किता 03 रकबा 0.48 वाके ग्राम सुन्दनी में प्रतिवादी संख्या 01 अमृतलाल पिता प्रताप सेवक गत 50 वर्षो से भी अधिक समय से काबीज होकर कृषि कार्य कर रहा है उक्त कथन मनगढन्त व मिथ्या होकर कपोल कल्पित है प्रतिवादी संख्या 01 ने अवैध गौदनामा के आधार पर स्व. उंकार जी का पुत्र बताकर जो नामान्तरकरण संख्या 587 दिनांक 19.11.2010 के द्वारा जमना की मृत्यु पर राजस्व रेकार्ड में नाम दर्ज कराया वह अवैध होने से काबील खारीज है। प्रतिवादी संख्या 01 का यह कथन स्वीकार है कि पूर्व में [illegible] मकन जी व उंकार जी की मृत्यु के पश्चात् वादीया की माता जमना [illegible] रिकार्ड में नाम दर्ज हुआ प्रतिवादी संख्या 01 का कथन कि वादीया की माता [illegible] ने बचपन बाल्य अवस्था में प्रतिवादी संख्या 01 को गोद [illegible] है [illegible] दस्तावेजी साक्ष्य से के विपरीत है वादीया के पिता की मृत्यु गोदनामे की दिनांक 09.8.2004 के पूर्व हो चुकी थी एवं गोदनामा प्रतिवादी संख्या 01 की बाल्य अवस्था नहीं लिखा गया है तथा

Signature Not Verified
Digitally signed by SHARWAN SINGH RATHORE
Date: 2025.05.14 17:28:42 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
गढी, जिला बाँसवाड़ा

Scanned with OKEN Scanner

गोदनामा दिनांक 09.8.2004 में प्रतिवादी संख्या 01 की उम्र 47 वर्ष बताई गई है तथा गोद पुत्र की उम्र 15 वर्ष से उपर नहीं होना चाहिये तथा उक्त गोदनामा दिनांक 09.4.2004 में प्रतिवादी संख्या 01 के माता गंगा व पिता प्रताप के हस्ताक्षर नहीं थे तथा प्रतिवादी संख्या 1 को बाल्य अवस्था में लिया गया होता तो उंकार जी के हस्ताक्षर होते। प्रतिवादी संख्या 01 अमृतलाल ने दिनांक 19.11.2010 नामान्तरकरण संख्या 587 के द्वारा जो राजस्व रिकार्ड में जमना का पुत्र बताकर जो इन्द्राज करांया है वह काबील खारीज है। प्रतिवादी संख्या 01 के उनवान व प्रतिदावा की चरण संख्या 01 प्रतिजवाब व प्रतिदावा के सत्यापन में अमृतलाल पुत्र प्रतापजी अंकित किया है तथा नामान्तरकरण दिनांक 19.11.2010 के अलावा किसी राजस्व रिकार्ड पहचान पत्र निर्वाचन नामावली, राशन कार्ड आदि में अमृतलाल व उसके भाई तुलसीराम, शम्भु के शामलाती खाता संख्या नया 141 व पुराना 117 वाके ग्राम सुन्दनी के कुल खेत 25 रकबा 1.9900 संवत् 2075 से 2078 में अपना नाम अमृतलाल पिता प्रताप जी दर्ज है एवं अमृतलाल पिता प्रतापजी के नाम से बैंक से ऋण प्राप्त किया है। वादग्रस्त खेत को हडपने के लिए वादीया को अपने पिता व माता की भूमि से वंचित करने के लिये एवं अवैध गोदनामा के जरिये प्रतिवादी संख्या 01 ने अपने को उंकार का पुत्र बताकर जो नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज कराया है। जो काबील खारीज है। उपरोक्त दस्तावेजी सबुत के आधार पर प्रतिवादी संख्या 01 अभी 64 वर्ष उम्र होने तक अपने को प्रताप जी का पुत्र हैं एवं दोनो खाते पर अपना हक जताने की चेष्टा कर रहा है सरकारी रिकार्ड पहचान पत्र निर्वाचन नामावली 2018, राशन कार्ड, आधार कार्ड एवं स्वयं के राजस्व रिकार्ड में कभी भी अमृतलाल पिता उंकारजी दर्ज नहीं है। वादीया जमना व उंकार की पुत्री होने से बतौर वारिसान उक्त भूमि पर हक अधिकार व स्वामित्व रखती है ससुराल में जाने से वादीया के हक अधिकार जो कानूनन प्राप्त है समाप्त नहीं होते है। वादीया का नाम पुत्री (वारिसान) होने से विधिवत इन्द्राज किया गया है।

वादीया द्वारा प्रस्तुत दावा एवं दावे के साथ प्रस्तुत दस्तावेज तथा प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत जवाब, प्रतिदावा व दस्तावेज तथा वादीया प्रस्तुव जवाब प्रतिदावा के आधार पर प्रकरण में तनकियात् कायम की गई।

प्रकरण वादी की साक्ष्य हेतु नियत की जाने पर वादी साक्ष्य स्वरूप निम्नांकित गवाह प्रस्तुत किये:–

नाम	जाति [illegible]		गवाह
लक्ष्मी पुत्री उंकार (पत्नी हिरालाल)	सेवक	सुन्दनी [illegible]	PW-1
गौतमलाल पिता चुन्नीलाल	तेली	सुन्दनी तहसील गढी [illegible]	PW-2
मांगीलाल पिता कालुराम	सेवक	वजवाना तहसील ग[illegible] जिला बांसवाडा	PW-3

Signature Not Verified
Digitally signed by SHARWAN SINGH RATHORE
Date: 2025.05.14 17:28:42 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
गढ़ी, जिला बाँसवाड़ा

Scanned with OKEN Scanner

प्रकरण में लक्ष्मी पुत्री उंकार (पत्नी हिरालाल) PW-1, गौतमलाल पिता चुन्नीलाल PW-2, गंगीलाल पिता कालुराम PW-3 द्वारा शपथ–पत्र पेश कर समान रूप से निम्न प्रकार कथन किये कि :–

वादग्रस्त भूमिखाता संख्या 85 (नया), 75 (पुराना) के सर्वे नम्बर 947, 949, 3099/953/1 रकबा क्रमशः 0.14, 0.32 0.02 हे0 कुल किता 03 रकबा 0.48 वाके ग्राम सुन्दनी तहसील गढ़ी वादीया लक्ष्मी के मिलकियत व स्वामित्व की है। वादीया से पूर्व उक्त खाता उसकी माता जमना, वेवा उंकार के नाम से था, उसके पूर्व वादीया लक्ष्मी के पिता उंकार के नाम से राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज् था। वादीया की माता का वृद्धावस्था का लाभ उठाकर अमृतलाल ने एक गोदनामा निष्पादित करवाया। जिस पर वादीया की माता के फर्जी अंगुठां लगाया गया है। गोदनामे से पूर्व अमृतलाल की उम्र 47 वर्ष अंकित है तथा गोदनामा जिसके हक में निष्पादित होता है उसकी उम्र 15 वर्ष से कम होनी चाहिए तथा गोदनामा दिनांक 09.8.2004 के आधार पर नायब तहसीलदार द्वारा दिनांक 19.10.2010 को आदेश दिये गये वह आदेश देने का उनको कोई अधिकार नहीं था नामान्तरकरण संख्या 587 दिनांक 19.11.2010 विधि विरूद्ध होकर अवैध है। जमना की मृत्यु के बाद अमृतलाल को दत्तक पुत्र बताकर जो नामान्तरकरण खोला गया है वह विधि विरूद्ध है। लक्ष्मी जमना वेवा उंकार की पुत्री होने के नाते एकमात्र खातेदार घोषित होने की पात्र है।

- PW-1 लक्ष्मी पुत्री उंकार (पत्नी हिरालाल) की जिरह प्रतिवादी अभिभाषक द्वारा की जाने पर अपने दावे के समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेज प्रदर्श P-1 जमाबन्दी संवत् 2066 से 69, प्रदर्श P-2 जमाबंदी संवत 2070 से 73, प्रदर्श P-3 खसरा गिरदावरी, प्रदर्श P-4 गोदनामा, प्रदर्श P-5 नक्षा ट्रेस प्रदर्श कराये जाकर अभिकथन किया कि अमृतलाल को मेरे माता–पिता ने उसकी 12 वर्ष की उम्र में ग्रामीण रिवाज से गॉव के लोगो के रूबरू साफा बंधवा कर गोद लिया हो तो मुंझे जानकारी नहीं है। यह भी मुझें मालुम नहीं कि अमृतलाल गोद पुत्र के रूप में रहा हो या खेती की हो। गोदनामा प्रदर्श D-1 तस्दीक किया हो तथा मेरी माता ने तहसील में आंकर कराया होतो मेरी जानकारी में नहीं है। गोदनामा मेरी उपस्थिति में हुआ हो ओर [illegible] नी हो यह मेरी जानकारी में नहीं है। गोदनामा पर मेरी [illegible] गठा [illegible] नी नहीं है। गोदनामे पर A से B अमृतलाल के [illegible] स्ताक्षर है यह गलत है। मेरी शादी बोदला निवासी [illegible] के बाद से मैं बोदला में भी रहती हूॅ। एवं सुन्दनी भी आती–जाती रहती हूॅ। बोदला में मेरी कृषि भूमि है वह मेरी सांसुजी की है। यह कहना गलत है कि वादग्रस्त भूमि पर मेने खेती

Signature Not Verified
Digitally signed by SHARWAN SINGH RATHORE
Date: 2025.05.14 17:28:42 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
गढ़ी, जिला बाँसवाड़ा

Scanned with OKEN Scanner

नहीं की है। यह मेरी जानकारी में नहीं है कि मेरे माता–पिता का दाह–संस्कार अमृतलाल ने किया हो ओर मृत्युपरान्त सभी कार्यक्रम अमृतलाल ने किये हों।

- PW-2 गौतमलाल पिता चुन्नीलाल की जिरह प्रतिवादी अभिभाषक द्वारा की जाने पर अभिकथन किया कि लक्ष्मीबाई और मैं अलग जाती के है। वादीया लक्ष्मीबाई व मेरे खेत पारा–पारा है। यह कहना गलत है कि वादग्रस्त भूमि पर अमृतलाल कमाता है, बल्कि लक्ष्मी कमाती है। यह बात गलत है कि वादग्रस्त भूमि लक्ष्मी के नाम होने पर मैं खरीदाना चाहता हूँ। अमृतलाल गोद गया है तो मेरी जानकारी में नहीं है। अमृतलाल को गोद लिया या नहीं लिया यह मुझे पता नहीं। वादग्रस्त भूमि 48 एयर है। लक्ष्मी के माता–पिता का दाह–संस्कार, कार्यक्रम किसने किये मुझे जानकारी नहीं है। अजखुद कहा लक्ष्मी ने किया है। गोदनामा के वक्त कौन–कौन आये व किसने गवाही दी मुझे जानकारी नहीं है।

प्रकरण प्रतिवादी की साक्ष्य हेतु नियत किया जाने पर प्रतिवादी साक्ष्य स्वरूप निम्नांकित गवाह प्रस्तुत किये:–

नाम	जाति	निवासी	गवाह
अमृतलाल पिता प्रतापजी	सेवक	सुन्दनी तहसील गढ़ी जिला बांसवाडा	DW-1
नारायण पिता मोगजी	सुथार	सुन्दनी तहसील गढी जिला बांसवडा	DW-2
सुखलाल पिता कुरिया	पंचाल	सुन्दनी तहसील गढी जिला बांसवडा	DW-3

प्रकरण में अमृतलाल पिता प्रतापजी DW-1, नारायण पिता मोगजी DW-2, सुखलाल पिता कुरिया DW-3द्वारा शपथ–पत्र पेश कर समान रूप से निम्न प्रकार कथन किये कि :–

वादग्रस्त भूमिखाता संख्या 85 (नया), 75 (पुराना) के सर्वे नम्बर 947, 949, 3099/953/1 रकबा क्रमशः 0.14, 0.32 0.02 हे0 कुल किता 03 रकबा 0.48 वाके ग्राम सुन्दनी तहसील गढ़ी वादीया की कभी मिल्कियत व स्वामित्व की नहीं रही है। वादीया के पिता श्री उंकार पिता मकनजी ने प्रतिवादी संख्या 01 अमृतलाल को जब अमृतलाल 10–12 वर्ष का था उसके बचपनकाल में ही गोद रख लिया था। जो आज से करीब 50 वर्ष पूर्व से ही प्रतिवादी संख्या 01 अमृतलाल श्री उंकार पिता मकनजी एवं श्रीमती जमना बेंवा उंकार का गोदपुत्र है। व वादीया की माता जमना ने अपने जीवनकाल में एक गोदनामा उपपंजीयक कार्यालय में गवाहान के दिनांक 3.8.2004 को प्रभुलाल व सरता पुत्र ... की उपस्थिति में श्रीमती जमना बेवा उंकार ने अमृतलाल को गोद लिया है। गोदनामा की शर्तो के अनुसार गोदगृहिता माता को गोदपुत्र की उम्र में 20 वर्ष का अन्तर होना चाहिए जो इस गोदनामें में इस शर्त का अक्षरशः पालन हुआ है एवं राजस्व अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने विधिवत् रूप से वैद्य नामान्तरकरण के द्वारा वादीया की माता का एकमात्र कानूनी उत्तराधिकारी होने की

Signature Not Verified
Digitally signed by SHARWAN SINGH RATHORE
Date: 2025.05.14 17:28:42 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
गढ़ी, जिला बाँसवाड़ा

Scanned with OKEN Scanner

वजह से प्रतिवादी नम्बर 01 को खातेदार घोषित किया गया है। जबकि वादीया का आज से करीब 25-30 वर्ष पूर्व उसके बाल्यकाल में बोदला निवासी हिरालाल के साथ विवाह सम्पन्न करवा दिया गया है तब से वादीया अपने ससुराल में गांव बोदला तहसील बांसवाड़ा में निवास कर रही है। वादीया वादग्रस्त भूमि पर कभी काबीज नहीं रही है। अतः कोई वाद कारण उत्पन्न नहीं हुआ है। वादीया ने दिनांक 18.4.2009 को एक सहमती पत्र भी प्रतिवादी संख्या 01 के पक्ष में निष्पादित कर दिया है जिसमें उसने अपने माता-पिता का प्रतिवादी संख्या 01 अमृतलाल को एकमात्र वारीस होना बताया है। और उसने अपना कोई हक इस वादग्रस्त भूमि में नहीं होना माना एवं स्वीकार किया है। वादीया के माता-पिता के मरणोपरान्त सामाजिक क्रिया कलाप वगैरा प्रतिवादी संख्या 01 ने किये और इसका समस्त खर्चा प्रतिवादी संख्या 01 ने वहन किया है। जिस कारण वादग्रस्त भूमि पर वादीया का कोई हक एवं अधिकार नहीं है। वादीया का नाम वादग्रस्त भूमि में गैर कानूनी रूप से जोडा जाकर काबिल निरस्ती योग्य है।

- DW-1 अमृतलाल पिता प्रतापजी की जिरह वादी अभिभाषक द्वारा की जाने पर अपनी साक्ष्य के समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेज प्रदर्श D-1 रजिस्टर्ड गोदनामा प्रदर्श कराया जाकर कर कथन किया कि लक्ष्मी मेरी बहन होकर उंकार जी की लड़की है। उंकार जी मेरे चाचा लगते थे। मेरी उम्र 70 वर्ष है। जब मैं 12 वर्ष का था तब मुझे गांव के रिती-रिवाज से गोद लिया गया था। तब लिखापड़ी नहीं की गई थी। जब गोद लिया गया था तब गवाह लक्ष्मण भाई, मोगजी सुथार, गोतम सेवक आदी मौजुद थे। यह बात सही है कि गोंदनामे में मेरे पिता का नाम प्रतापजी लिखा है। यह बात भी सही है कि मेरे पिता का नाम उंकारजी नहीं होकर उंकारजी मेरे काका थे। ओर लक्ष्मी उनकी लडकी है। यह बात सही है कि लक्ष्मी का नाम खाते में चढ़ा है अजखुद कहा की गलत पैसे खाकर पटवारी ने चढ़ाया है। यह बात सही है कि लक्ष्मी का नाम खाते में चढ़ा उसके खिलाफ में मेने कोई कार्यवाही नहीं कि अजखुद कहा कि लक्ष्मी ने मुझे कहा था की रहने दो में जमीन लेने नहीं आउंगी। यह सही है कि मेरे पिता का नाम अभी भी प्रतापजी ही चल रहा है। राशन कार्ड में पिता का ना उंकारजी है। गौदनामा हुआ तब जमना की उम्र 72 वर्ष थी और मेरी उम्र 47 वर्ष थी। मेरी माता का नाम गंगा था। गोदनामे के वक्[illegible]-पिता जिंदा थे और गोदनामे में उनके अंगुठा निशानी है। प्रतापजी के [illegible] मुझे कुछ जमीन नहीं मिली है। यह बात सही [illegible] करती थी। गोदनामे हेतु जमना को तहसील लाया गया था [illegible] बात सही है उस वक्त हिरालाल व भाई प्रभु, लवजी भी थे। गोद कब लिया यह मुझे याद नहीं, बाल्यावस्था में था तब लिया गया था। उंकारजी की मृत्यु कब हुई मुझे याद नहीं

उपखण्ड अधिकारी
गढ़ी, जिला बाँसवाड़ा

Signature Not Verified
Digitally signed by SHARWAN SINGH RATHORE
Date: 2025.05.14 17:28:42 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

गोदनामे में लक्ष्मी व जमना के अंगुठा फर्जी है यह बात गलत है। यह बात सही है कि प्रदर्श–6 में प्रष्ट 3 पर दिनांक 18.4.2009 पर एक सहमति पत्र प्रतिवादी संख्या 01 अमृतलाल के पक्ष में निशपादित कर दिया है उसके दस्तावेज मैंने पेश नहीं किया है। यह कहना गलत है कि यह गोदनामा फर्जी हुआ हो और मैं गोदनामा के आधार पर जमीन हडपना चाहता हूँ।

- DW-2 नारायण पिता मोगजी कीजिरह वादी अभिभाषक द्वारा की जाने परअभिकथन किया कि लक्ष्मी उकार जी की लडकी है। व अमृतलाल प्रताप जी का लड़का है। अमृतलाल को उसके काका उंकार ने बेटा करके रखा था। गोदनाम पर मेरे दस्तखत नहीं है अजखुद कहा गोद रखा तब हम गांव के 50 आदमी मौजुद थे। उसकी लिखापडी है जो हमारे घर मौजुद है। मै छोटा था इस लिए मेरे दस्तखत नहीं कराये। जब अमृतलाल को गोद रखा था तब मैं 20–22 वर्ष का था। गोदनामा लिखा तब उंकारजी और प्रतापजी जिंदा नहीं थे। प्रतापजी की ओरत गंगा जिन्दा थी। गोदनामे पर गंगा के दस्तखत हो यह मुझे याद नहीं। यह मेरी जानकारी में नहीं कि जमना की मृत्यु के बाद लक्ष्मी का नाम चढा हो अजखुद कहा की लक्ष्मी ने गुप्त काम किया। जमना के पास लक्ष्मी आती–जाती रहती थी। यह मेरी जानकारी में नहीं कि गोदनामा गैर कानूनी हो। यह बात सही है कि गोदनामा लिखा गया उस वक्त अमृतलाल की उम्र 47 वर्ष थी।

- DW-3 सुखलाल पिता कुरिया की जिरह वादी अभिभाषक द्वारा की जाने पर अभिकथन किया कि लक्ष्मी उकारजी की लड़की है यह बात सही है कि उकारजी के कोई लड़का नहीं था। उनकी एक मात्र लड़की लक्ष्मी थी लड़का गोद लिया था। यह बात सही है उंकारजी जिन्दा थे तब तक कोई गोदनामा नहीं किया। अचखुद कहा विश्वास था इस लिए नहीं किया। उंकारजी की मृत्यु के बाद खाता लक्ष्मी के नाम चढा यह बात मेरी जानकारी में नहीं है। गोदनामे पर मेरे दस्तखत नहीं है। गोदनामा लिखा उसके लगभग 15 वर्ष हो गये है। जो सन् 2004 के आस–पास हुआ। गोदनामे के समय अमृतलाल लगभग 50 वर्ष का आदमी था। जमना जिन्दा थी तब लक्ष्मी आती जाती रही थी। लक्ष्मी के आणे–पियणे सभी अमृतल[illegible] मेरे सामने गोद नहीं लिया है। लेकिन हम गांव वाले जानते [illegible] जम[illegible] गोद लिया यह मेरी जानकारी में है किन्तु मे[illegible]लाल के पिता का नाम प्रतापजी ही चल रहा है। [illegible] लिया था। गोदनामा गैर कानूनी है यह बात गलत है। गोदनामा तहसीलदार के सामने तैयार हुआ था।

Signature Not Verified
Digitally signed by SHARWAN SINGH RATHORE
Date: 2025.05.14 17:28:42 IST
Reason: SelfAttested

पत्रावली में बकुलाय की बहस सुनी गई। वादी अभिभाषक द्वारा अपनी बहस

उपखण्ड अधिकारी
गढी, जिला बाँसवाड़ा

Scanned with OKEN Scanner

में बताया कि गोद पुत्र की आयु 12 वर्ष से कम होनी चाहिए। प्रतिवादी संख्या 01 अमृतलाल के पिता का नाम अभी भी प्रताप ही अंकित है। वादीया के गवाह लक्ष्मी एवं गोतम ने अपने बयान में यह बताया है कि उंकार की एक मात्र पुत्री लक्ष्मी है उसका कोई गोद पुत्र नहीं है। गोदनामा शुरू से ही नल एण्ड वोइड घोषित होने से सिविल कोर्ट से गोदनामा निरस्त कराने की आवश्यकता नहीं है। प्रतिवादी अभिभाषक ने अपनी बहस में बताया कि गोदनामा रजिस्टर्ड है गोदनामे के वक्त अमृतलाल की उम्र 47 वर्ष थी। राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी का नाम दर्ज है। तथा मौके पर प्रतिवादी संख्या 01 का कब्जा काश्त है। अतः वादीया का वाद खारिज कर प्रतिवादी संख्या 01 को वादग्रस्त भूमि का एकमात्र खातेदार घोषित किये जाने का निवेदन किया। बहस पर मनन करने व वादी द्वारा प्रस्तुत दावा एवं दावे के समथन में प्रस्तुत दस्तावेज प्रदर्श P-1 जमाबन्दी संवत् 2066 से 69, प्रदर्श P-2 जमाबंदी संवत 2070 से 73, प्रदर्श P-3 खसरा गिरदावरी, प्रदर्श P-4 गोदनामा, प्रदर्श P-5 नक्षा ट्रेस तथा प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत जवाब व प्रतिदावा एवं साक्ष्य के समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेज प्रदर्श D-1 गोदनामा आदी कासंक्षिप्त अवलोकन किया जाकर प्रकरण में तनकिवार निर्णय निम्नानुसार है:—

तनकी संख्या 01:— आया वादीया पटवार हल्का सुन्दनी के मौजा रोहिड़ा की खाता संख्या 85 (नई) 75 के सर्वे नम्बर 947, 949, 3099/953/1 कुल किता 03 रकबा 0.48 हे0 भूमि की एक मात्र खातेदार घोषित होने की अधिकारी है।

(वादीया साबित करे)

वादीया द्वारा अपने दावे के समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेज प्रदर्श P-1 जमाबन्दी संवत् 2066 से 69, प्रदर्श P-2 जमाबंदी संवत 2070 से 73, प्रदर्श P-3 खसरा गिरदावरी, प्रदर्श P-4 गोदनामा, प्रदर्श P-5 नक्षा ट्रेस प्रस्तुत किये। वादी ने साक्ष्य के रूप में गवाह लक्ष्मी पुत्री उंकार, गौतमलाल पिता चुन्नीलाल व मांगीलाल पिता कालुराम का शपथ—पत्र पेश कर समान रूप से अवगत कराया कि वादीया उंकार एक मात्र पुत्री है। वादीया की माता जमना बेवा उंकार अनपड ओरत थी। जिसका फायदा उठा कर प्रतिवादी संख्या 01, वादीया के पिता की मृत्यु उपरान्त जमना का फर्जी अंगुठा लगा कर फर्जी तरीके से गोदनामा बनाकर जमना की भूमि में अपना दर्ज करा लिया है। साथ ही यह भी अवगत कराया कि समस्त दस्तावेजो में प्रतिवादी संख्या 01 के पिता का नाम प्रताप है। गौदनामा जब बनवाया गया तब [illegible] संख्या 01 की उम्र 47 वर्ष थी। जबकि गोदनामे के वक्त गोदपुत्र की आयु 12 वर्ष [illegible] होनी चाहिए। वादीया के अधिवक्ता द्वारा इस सम्बन्ध में [illegible] पेश किये। प्रतिवादी संख्या 01 द्वारा उक्त तनकी के विरुद्ध दस्तावेज प्रदर्श D-1 रजिस्टर्ड गोदनाम पेश किया। प्रतिवादी साक्ष्य के रूप में गवाह अमृतलाल पिता प्रताप, नारायण पिता मोगजी

Signature Not Verified
Digitally signed by SHARWAN SINGH RATHORE
Date: 2025.05.14 17:28:42 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
गढ़ी, जिला बाँसवाड़ा

Scanned with OKEN Scanner

व सुखलाल पिता कुरिया का शपथ–पत्र पेश कर समान रूप से अवगत कराया कि अमृतलाल जब 10–12 वर्ष का था तब उसे गांव के रिती–रिवाज से गोद लिया गया था। उंकार जी की मृत्यु के उपरान्त वर्ष 2004 में जमना ने तहसील कार्यालय में जाकर गोदनामा बनवाया था। जो कानूनी रूप से सही है। तथा उसी गोदनामे के आधार पर अमृतलाल का नाम वादग्रस्त भूमि में दर्ज हुआ है। गोदनामे के वक्त अमृतलाल की उम्र 47 वर्ष एवं जमना की उम्र 72 वर्ष थी। इस अनुसार गोद लेने वाले एवं गोद रहने वाले के मध्य 20 वर्ष से अधिक का अन्तर होने से गोद नामा कानून वैद्य है। वादीया का विवाह 25–30 पूर्व हो चुका है। तथा वादीया अपने विवाह समय से ही अपने ससुराल गांव बोदला में निवास करती हैं। वादग्रस्त भूमि पर वादीया का कभी कब्जा काश्त नहीं होने से प्रतिवादी संख्या 01 एकमात्र खातेदार घोषित किये जाने का हकदार है। उक्त तनकी के निर्णय से पूर्व हिन्दूदत्तक, भरणपोषण अधिनियम 1956 को अवलोकान किया गया। इस अधिनियम की धारा 10 एवं धारा 11 में व्यक्ति जो दत्तक लिये जा सकते है एवं विधिमान्य दत्तक की अन्य शर्ते दी हुई है जो निम्नानुसार है।

धारा 10 व्यक्ति जो दत्तक लिये जा सकते हैं :– कोई भी व्यक्ति दत्तक लिये जाने के योगय न होगा जब तक कि निम्नाकिंत शर्ते पूरी न हों, अर्थात् :–

(i) *वह हिन्दू है ;*

(ii) *वह पहले ही से दत्तक नहीं लिया जा चुका है, या चुकी है ;*

(iii) *उसका विवाह नहीं हुआ है, तब के सिवाय जब कि पक्षकारो को लागू होने वाली ऐसी रूढ़ि या प्रथा हो जो, विवाहित व्यक्तियो का दत्तक लिया जाना अनुज्ञात करती हो ;*

(iv) *उसने पन्द्रह वर्ष की आयु पुरी नहीं की है तब के सिवाय जबकि पक्षकारों को लागू होने वाली ऐसी कोई रूढ़ि या प्रथा हो जो ऐसे व्यक्तियों का, जिन्होने पन्द्रह वर्ष की आयु पूरी कर ली हो, दत्तक लिया जाना अनुज्ञान करती हो।*

धारा 11 विधिमान्य दत्तक की अन्य शर्ते – हर दत्तक में निम्नलिखित शर्ते पूरी की जानी होंगी :–

(i) *यदि पुत्र का दत्तक है तो दत्तक लेने वाले पिता या माता, जिनके द्वारा दत्तक लिया जाए, कोई हिन्दू पुत्र, पुत्र का पुत्र या पुत्र के पुत्र का पुत्र (चाहे धर्मज रक्त नातेदारी से हो या दत्तक से) दत्तक के समय जीवित न होय;*

(ii) *यदि पुत्री का दत्तक है तो दत्तक लेने वाले पिता या माता की, जिनके द्वारा दत्तक लिया जाए, कोई हिन्दू पुत्री, पुत्री का पुत्री (चाहे धर्मज रक्त नातेदारी से हो या दत्तक से) दत्तक के समय जीवित न होय;*

(iii) *यदि दत्तक किसी पुरुष द्वारा लिया जाना है तो दत्तक में लिया जाने वाला व्यक्ति नारी है तो दत्तक पिता दत्तक लिए जाने वाले व्यक्ति से आयु में कम से कम इक्कीस वर्ष बड़ा होय य*

Signature Not Verified
Digitally signed by SHARWAN SINGH RATHORE
Date: 2025.05.14 17:28:42 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
गढ़ी, जिला बाँसवाड़ा

Scanned with OKEN Scanner

(iv) यदि दत्तक किसी नारी द्वारा लिया जाना है और दत्तक लिया जाने वाला व्यक्ति पुरुष है तो दत्तक माता दत्तक लिए जाने वाले व्यक्ति से आयु में कम से कम इक्कीस वर्ष बड़ी होय;

(v) वही अपत्य एक साथ दो या दो से अधिक व्यक्तियों द्वारा दत्तक नहीं लिया जा सकेगाय;

(vi) दत्तक लिया जाने वाला अपत्य सम्पृक्त जनकों या संरक्षक द्वारा या उसके प्राधिकार के अधीन उस अपत्य के कुटुम्ब से जहां ,वह जन्मा हो अथवा परित्यक्त अपत्य की दशा में या ऐसे अपत्य की दशा में जिसकी जनकता ज्ञात न हो, उस स्थान या कुटुम्ब से जहां वह पला हो,, उसका दत्तक लेने वाले कुटुम्ब में उसे अन्तरित करने के आशय से वस्तुतरू दिया और लिया जाएगा ।

परन्तु दत्त होमम् का किया जाना किसी दत्तक की विधिमान्यता के लिए आवश्यक नहीं होगा ।

वादीया द्वारा प्रतिवादी संख्या 01 के दत्तक पुत्र रहने में बतायी गयी अयोग्यता में पहली अयोग्यता गोदनामे के वक्त प्रतिवादी संख्या 01 की आयु 12 वर्ष से अधिक थी। उक्त अधिनियम की धारा 10 की उपधारा 4 में यह प्रावधान है कि ऐसी कोई रूढ़ि या प्रथा हो जो ऐसे व्यक्तियों का, जिन्होने पन्द्रह वर्ष की आयु पूरी कर ली हो, दत्तक लिया जाना अनुज्ञान करती हो तो दत्तक लिया जा सकता है। प्रतिवादी संख्या के गवाहो ने अपनी साक्ष्य एवं जिरह में यह बताया है कि प्रतिवादी संख्या 01 जब 10–12 वर्ष का था तब गांव के रिती–रिवाज अनुसार गोद लिया गया था। इस लिए न्यायालय की दृष्टि में प्रतिवादी संख्या 01 विधि पूर्वक गोद रहकर गोदनामे के आधार पर वादग्रस्त भूमि में सह खातेदार घोषित हुआ है। वादीया गोदनामे को फर्जी बता कर एक मात्र खातेदार घोषित होना चाहती है यदि गोदनामा फर्जी तरिके से बनाया भी गया हो तो उसे सुनने का अधिकार इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार में नहीं होने से उक्त तनकी वादीया के विरूद्ध एवं प्रतिवादी के पक्ष में निर्णित की जाती है।

तनकी संख्या 02:– आया प्रतिवादी द्वारा फर्जी तरीके से स्वय को वादीया की माता द्वारा गोद लिया जाना दिखाकर, फौती इन्तकाल के माध्यम से वादग्रस्त भूमि को स्वंय के नाम दर्ज करवा लिया गया, जो कि अवैध व निरस्तनीय है।

(वादीया साबित करे)

वादीया द्वारा अपने दावे के समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेज प्रदर्श P-1 जमाबन्दी संवत् 2066 से 69, प्रदर्श P-2 जमाबंदी संवत 2070 से 73, प्रदर्श [illegible] खसरा गिरदावरी, प्रदर्श P-4 गोदनामा, प्रदर्श P-5 [illegible] ने साक्ष्य के रूप में गवाह लक्ष्मी पुत्री उंकार, गौतमलाल पिता [illegible] पिता कालुराम का शपथ–पत्र पेश कर समान रूप से अवगत कराया कि वादीया उंकार की एक मात्र पुत्री है। वादीया की माता जमना बेवा उंकार अनपड ओरत थी। जिसका फायदा उठा कर

Signature Not Verified
Digitally signed by SHARWAN SINGH RATHORE
Date: 2025.05.14 17:28:42 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
गढ़ी, जिला बाँसवाड़ा

Scanned with OKEN Scanner

प्रतिवादी संख्या 01, वादीया के पिता की मृत्यु उपरान्त जमना का फर्जी अंगुठा लगा कर फर्जी तरीके से गोदनामा बनाकर जमना की भूमि में अपना दर्ज करा लिया है। प्रतिवादी संख्या 01 द्वारा उक्त तनकी के विरूद्ध दस्तावेज प्रदर्श D-1 रजिस्टर्ड गोदनामा पेश किया। प्रतिवादी साक्ष्य के रूप में गवाह अमृतलाल पिता प्रताप, नारायण पिता मोगजी व सुखलाल पिता कुरिया का शपथ–पत्र पेश कर समान रूप से अवगत कराया कि अमृतलाल जब 10–12 वर्ष का था तब उसे गांव के रिती–रिवाज से गोद लिया गया था। उंकार जी की मृत्यु के उपरान्त वर्ष 2004 में जमना ने तहसील कार्यालय में जाकर गोदनामा बनवाया था। जो कानूनी रूप से सही है। तथा उसी गोदनामे के आधार पर अमृतलाल का नाम वादग्रस्त भूमि में दर्ज हुआ है। प्रतिवादी संख्या 01 द्वारा प्रस्तुत प्रदर्श D-1 रजिस्टर्ड गोदनामा के अवलोकन से यह साबित होता है कि प्रतिवादी संख्या 01 रजिर्स्टड गोदनामे से वादग्रस्त भूमि में सह खातेदार घोषित हुआ है। अतः उक्त तनकी वादीया के विरूद्ध व प्रतिवादी संख्या 01 के पक्ष में निर्णित की जाती है।

तनकी संख्या 03:– आया वादीया का कई वर्ष पूर्व विवाह होने के उपरान्त उनके द्वारा वादग्रस्त भूमि में कभी काश्त नही की गई तथा न ही वादग्रस्त भूमि पर वादीया का कोई अधिकार बचा है।

(प्रतिवादी साबित करे)

प्रतिवादी द्वारा साक्ष्य के रूप में गवाह अमृतलाल पिता प्रताप, नारायण पिता मोगजी व सुखलाल पिता कुरिया का शपथ–पत्र पेश कर समान रूप से अवगत कराया कि वादीया का विवाह 25–30 पूर्व हो चुका है। तथा वादीया अपने विवाह समय से ही अपने ससुराल गांव बोदला में निवास करती है। वादग्रस्त भूमि पर वादीया का कभी कब्जा काश्त नहीं रहा है। वादीया द्वारा उक्त तनकी के विरूद्ध प्रदर्श P-3 खसरा गिरदावरी प्रदर्श कराते हुए वादी की साक्ष्य के रूप में गवाह लक्ष्मी पुत्री उंकार, गौतमलाल पिता चुन्नीलाल व मांगीलाल पिता कालुराम का शपथ–पत्र पेश कर समान रूप से अवगत कराया कि वादीया का विवाह 25–30 वर्ष पूर्व बोदला निवासी हीरालाल से हो गया हैं वह विवाह के समय से बोदला रहती है। वह सुन्दनी भी आती–जाती रहती है तथा खेती करती है। वादीया द्वारा प्रदर्श P-3 खसरा गिरदावरी के अवलोकन से यह साबित होता है कि वादग्रस्त भूमि पर वादीया का कब्जा काश्त है। तथा न्यायालय की नजर में कब्जा काश्त नहीं होने पर भी किसी के खातेदार अधिकार समाप्त नहीं किये जा सकते है। अतः उक्त तनकी प्रतिवादी संख्या 01 के विरूद्ध व वादीया के पक्ष में निर्णित की जाती है।

Signature Not Verified
Digitally signed by SHARWAN SINGH RATHORE
Date: 2025.05.14 17:28:42 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
गढ़ी, जिला बाँसवाड़ा

Scanned with OKEN Scanner

तनकी संख्या 04:– आया वादीया द्वारा फर्जी नामान्तरकरण के माध्यम से वादग्रस्त भूमि में सह–खातेदार के तौर पर घोषित करवाया गया है जो कि अवैध होकर निरस्त योग्य है।

(प्रतिवादी साबित करें)

प्रतिवादी संख्या 01 द्वारा प्रतिदावा में अवगत कराया है कि वादीया श्रीमती लक्ष्मी जो आज से करीब 25–30 वर्ष पूर्व अपनी शादी हो जाने के बाद अपने पति श्री हिरालाल के वहां गांव बोदला तहसील व जिला बांसवाडा में रह रही है। वादग्रस्त भूमि पर उसका कभी कब्जा नहीं रहा। परन्तु उसने राजस्व अधिकारियों व कर्मचारियों से मिलकर वादग्रस्त भूमि में अपना नाम जुडवा दिया है साथ ही प्रतिवादी संख्या 01 द्वारा साक्ष्य के रूप में गवाह अमृतलाल पिता प्रताप, नारायण पिता मोगजी व सुखलाल पिता कुरिया का शपथ–पत्र पेश कर समान रूप से अवगत कराया कि वादीया का विवाह 25–30 वर्ष पूर्व बोदला निवासी हीरालाल से हो गया हैं वह विवाह के समय से बोदला रहती है। वादीया द्वारा उक्त तनकी के विरूद्ध अपने दावे के समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेज प्रदर्श P-1 जमाबन्दी संवत् 2066 से 69, प्रदर्श P-2 जमाबंदी संवत 2070 से 73, प्रदर्श P-3 खसरा गिरदावरी, प्रदर्श P-4 गोदनामा, प्रदर्श P-5 नक्षा ट्रेस प्रस्तुत किये। वादी ने साक्ष्य के रूप में गवाह लक्ष्मी पुत्री उंकार, गौतमलाल पिता चुन्नीलाल व मांगीलाल पिता कालुराम का शपथ–पत्र पेश कर समान रूप से अवगत कराया कि वादीया उंकार की एक मात्र पुत्री है। वादीया द्वारा प्रदर्श दस्तावेज से यह साबित होता है की वादीया उंकार की पुत्री है तथा उंकार एवं जमना की मृत्यु के पश्चात् विरासती नामान्तरण के माध्यम में खातेदार घोषित हुई है। अतः उक्त तनकी प्रतिवादी के विरूद्ध व वादीया के पक्ष में निर्णित की जाती है।

तनकी संख्या 05 अनुतोषः– तनकी संख्या 01 व 02 वादीया के विरूद्ध व प्रतिवादी संख्या 01 के पक्ष में निर्णित हुई। तथा तनकी संख्या 03 व 04 वादीया के पक्ष में व प्रतिवादी संख्या 01 के विरूद्ध निर्णित हुई है। न्यायालय की नजर में प्रतिवादी संख्या 01, वादग्रस्त भूमि में रजिस्ट्रर्ड गोदनामे के माध्यम से खातेदार घोषित हुआ। तथा वादीया विरासती नामान्तरकरण के माध्यम से वादग्रस्त भूमि में खातेदार घोषित हुई है। कानूनन दोनो पक्षकार सही रूप से खातेदार घोषित हुए है अतः वादीया का वाद खारीज किया जाता है। तथा प्रतिवादी संख्या 01 का प्रतिदावा भी खारीज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 22.4.2025 को मेरे द्वारा सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by SHARWAN SINGH RATHORE
Date: 2025.05.14 17:28:42 IST
Reason: SelfAttested

(श्रवण सिंह राठौड)
उपखण्ड अधिकारी,
गढी

उपखण्ड अधिकारी
गढी, जिला बाँसवाड़ा

Scanned with OKEN Scanner

डिक्री व मुकदमे की इब्तजाई

(आ. 20 नियम 17 जाब्ता .दीवानी)

अज अदालत : उपखण्ड अधिकारी, मुकाम : गढ़ी व इजलास : श्रवण सिंह राठौड़ (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या: 00101/2018

उनवान

1. लक्ष्मी पुत्री उंकार (पत्नी हीरालाल) जाति सेवक निवासी सुन्दनी तह. गढी जिला बांसवाडा (राज.)।

—: वादी

बनाम

1 अमृतलाल पिता प्रताप जाति सेवक निवासी सुन्दनी तहसील गढी जिला बांसवाडा।

2. तहसीलदार, तहसील गढी जिला बांसवाडा।

—: प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय

दिनांक:22.5.2025

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू अभिभाषकगण पेश होकर हुक्म दिया जाता हैं कि वादीया की ओर से प्रस्तुत वाद वादीया के विरूद्ध निर्णित किया जाकर इस आशय की डिक्री जारी की जाती है।

नोज शून्य मुबलिग शून्य बावत् शून्य खर्चा इस मुकदमें के मय सुद व शरह शून्य प्रतिशत सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक शून्य का अदा करे।

बसब्त मेरे हस्ताक्षर एवं मोहर अदालत के आज दिनांक 22.5.2025 को जारी की गई।

(श्रवण सिंह राठौड़)
उपखण्ड अधिकारी
गढ़ी

मुदई	रूपया पैसा	मुद्दवायलह	रूपया पैसा
स्टाप की अरजी दावा	शून्य	स्टाम्प वकालतनामा	शून्य
स्टाम्प वकालतनामा	शून्य	स्टाम्प अरजी	शून्य
स्टाम्प वहज सबुत	शून्य	मेहनतनामा वकील	शून्य
मेहनतनामा वकील	शून्य	खर्चा गवाहान	शून्य
खर्चा गवाहान	शून्य	फीस कमिश्नर	शून्य
फीस कमिश्नर	शून्य	बबत इजराय हुक्मनामा	शून्य
बबत इजराय हुक्मनामा	शून्य	मुतफरीक	शून्य
मुतफरीक	शून्य		
कुल	शून्य		शून्य

Signature Not Verified
Digitally signed by SHARWAN SINGH RATHORE
Date: 2025.05.14 17:28:42 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
गढ़ी

उपखण्ड अधिकारी
गढ़ी, जिला बाँसवाड़ा

Scanned with OKEN Scanner